न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 81/2013 **दायर दिनांकः 25/06/2013**

उनवान

1. मृतक धन्नालाल पुत्र श्री जगन्नाथ आयु 70 वर्ष जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू

1/1 हंसराज पुत्र श्री धन्नालाल आयु 50 वर्ष जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू

1/2 रामगोप पुत्र श्री धन्नालाल आयु 35 वर्ष जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू

1/3 सुसर पुत्री धन्नालाल पत्नि श्री रामकुंवार आयु 55 वर्ष जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू हाल निवासी झाडवा तहसील मांगरोल

1/4 सुरज्या पुत्री श्री धन्नालाल पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण आयु 45 वर्ष जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू हाल निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा

1/5 मनभर पुत्री श्री धन्नालाल पत्नि श्री बाबूलाल आयु 40 वर्ष जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू हाल निवासी सकरावदा तहसील किशनगंज।

1/6 कमला पुत्री श्री धन्नालाल पत्नि श्री सत्यनारायण आयु 38 वर्ष जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू हाल निवासी सकरावदा तहसील किशनगंज।

वादीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र मथुरालाल आयु 55 वर्ष जाति मीणा निवासी रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

2. मृतक बाबूलाल पुत्र गोप्या उर्फ गोपीलाल जाति मीणा निवासी लिसाड़िया

2/1 ओमप्रकाश आयु 35 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी लिसाडिया

2/2 चन्द्रप्रकाश आयु 33 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी लिसाडिया

2/3 सुरेश आयु 32 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी लिसाडिया

2/4 बद्रीलाल आयु 30 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी लिसाडिया

2/5 भरोसीबाई आयु 57 वर्ष बेवा बाबूलाल जाति मीणा निवासी लिसाडिया

3. रामकन्या आयु 60 वर्ष पुत्री गोप्या उर्फ गोपीलाल जाति मीणा निवासी लिसाडिया

4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब महोदय अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए व धारा 12 एवं 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 05/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए व धारा 12 एवं 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादीगण के पूर्वज एवं परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः–

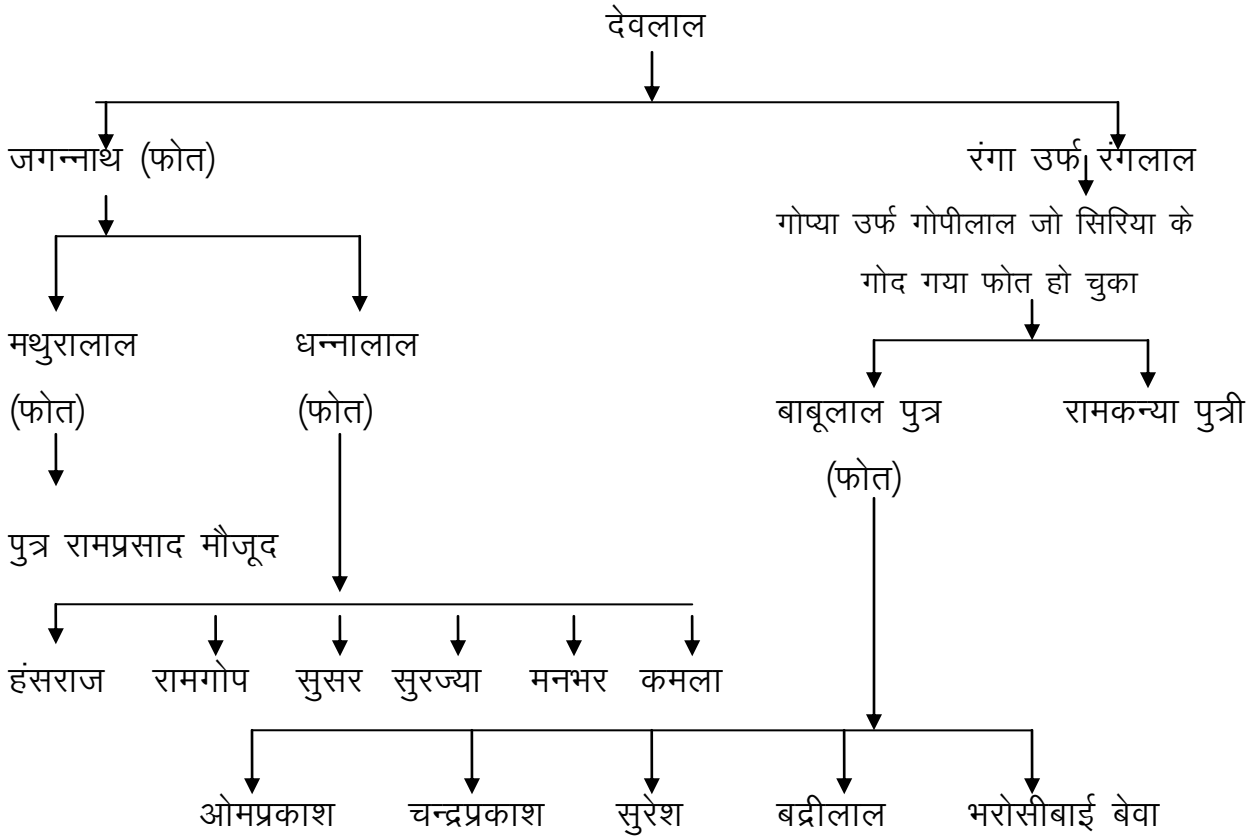

उक्त पारिवारिक सजरे के अनुसार वादीगण एवं उसके परिवार जो प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 है उनके नाम ग्राम वाके माल नृसिंहपुरा जिसके दो भाग कर दिये गये है। नृसिंहपुरा व उम्मेदगंज पहले पटवार क्षैत्र नृसिंहपुरा ही था के खाते में ग्राम वाके माल नृसिंहपुरा की आराजी खसरा नं0 79 रकबा 2.44 है0 ख0नं0 420 रकबा 1.69 है0 कुल 2 किता रकबा 4.13 है0 एवं उम्मेदगंज पटवार क्षैत्र में खसरा नं0 9 रकबा 1.58 है0 खसरा नं0 125/668 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 138 रकबा 1.66 है0, खसरा नं0 152 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 160 रकबा 0.58 है0 ख0नं0 171 रकबा 0.35 है0 खसरा नं0 176 रकबा 0.25 है0 खसरा नं0 153/670 रकबा 0.05 है0 कुल किता 8 किता कुल रकबा 5.14 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में सं0 2066–69 की जमाबन्दी

के अनुसार दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 एवं वादीगण का हिस्सा 1/2 व बाबूलाल के वारिसान का हिस्सा 1/2 दर्ज है। उपरोक्त वाद में उक्त आराजी को विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है तथा उक्त आराजीयात के साबिक जमाबन्दी सुं0 1989 से 209 के अनुसार साबिक खसरा नं0 की सारणी निम्न प्रकार हैः—

ख0नं0	**हाल क्षैत्रफल**	**साबिक ख0नं0**	**क्षैत्रफल**
9	1.58	9	9 बीघा 11 बिस्वा
79	2.44	57	15 बीघा 7 बिस्वा
138	1.66	88	10 बीघा 11 बिस्वा
152	0.63	132	4 बीघा 5 बिस्वा
160	0.58	137	3 बीघा 5 बिस्वा
171	0.35	148	2 बीघा 2 बिस्वा
176	0.25	127	1 बीघा 7 बिस्वा
420	1.69	369	10 बीघा
125	0.04	88 मिन	
153/670	0.75	132 मिन	
	कुल किता 9	रकबा 9.27	

उक्त साबिक नं0 1989 से 2009 के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार अंकित किये गये है। उक्त आराजीयात में से प्रतिवादी क्रम 1 रामप्रसाद अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर अपने खातेदारी अधिकारों का अवसायन करा चुका है। तथा पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से ही उक्त विवादित आराजी पर वादीगण एवं उनके पिता काबिल काश्त करते चले आ रहे थे एवं वादीगण के परिवार की अन्य पंचायत व तहसील पीपल्दा में भी कृषि भूमि थी जिसमें वादीगण का नाम दर्ज था परन्तु वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी रजामंदी से यह समझौता होने के उपरान्त भी तहसील पीपल्दा की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे काश्त में रहेगी तथा उसके हक हिस्से की आराजी पर वादीगण काश्त करेंगें इस प्रकार वादीगण उक्त प्रतिवादी क्रम 1 रामप्रसाद के हक हिस्से की आराजी का खातेदार कृषक बन चुके है तथा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। प्रतिवादी क्रम 2 व उसके वारिसान के पिता गोप्या उर्फ गोपीलाल अपने बाल्यकाल अवस्था में ही अपने रिश्तेदार सिरिया के यहां ग्राम लिसाडिया में गोद पुत्र के रूप में चले गये तथा राजस्व रिकार्ड की

जमाबन्दी सं0 1998 से 2000 में राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में दर्ज है। तथा इन्तकाल नं0 601 से उक्त नाम दर्ज हुआ है। इस प्रकार आज से 70 वर्ष पूर्व गोप्या उर्फ गोपीलाल उसके खाते में दर्ज आराजी पर से अपना हक व हिस्सा छोडकर उसके पिता रंगा की मौजूदगी में गोद जाने के कारण उसके सारे अधिकार ग्राम नृसिंहपुरा व उम्मेदगंज की आराजी मे समाप्त हो चुके है। तथा उसके स्थान पर गोप्या उर्फ गोपीलाल ने ग्राम लिसाडिया में दर्ज सिरिया के खाते की आराजी पर अपना नाम दर्ज होने के पश्चात् गोप्या उर्फ गोपीलाल को फोत हुये लगभग 40 वर्ष हो चुके है। तथा गोप्या के स्थान पर उसके वारिसान मृतक बाबूलाल के कायम मुकामान प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 2/5 व प्रतिवादी क्रम 3 का नाम दर्ज हो चुका है। इस प्रकार उक्त खातेदारान मौजूदा जमाबन्दी के अनुसार ग्राम लिसाडिया की जमाबन्दी में दर्ज है। पिछले 40 वर्ष तक गोप्या उर्फ गोपीलाल की मौजूदगी में उसके पिता रंगा की आराजी पर अपना नाम दर्ज कराने हेतु कोई कार्यवाही नही की यह इस बात का प्रमाण है कि वह अपने खातेदारी अधिकारों को वादीगण के पक्ष में तर्क कर चुके है परन्तु गोप्या उर्फ गोपीलाल की मृत्यु के पश्चात् काफी अर्सा बाद मृतक बाबूलाल ने ग्राम नृसिंहपुरा व उम्मेदगंज की आराजी में अपना नाम दर्ज करा लिया है तथा आज भी हिस्सा 1/2 बाबूलाल व रामकन्या के रूप में दर्ज है। इससे पूर्व रंगा की आराजी के सम्बन्ध में एक इंतकाल नं0 191 वर्ष 1969 में मृतक वादी धन्नालाल के पक्ष में खोल दिया गया था परन्तु सेंटलमेन्ट में रिकार्ड चले जाने के कारण उसका अमल दरामद नही हो सका तो पुनः मृतक बाबूलाल व रामकन्या का नाम दर्ज होने का फायदा उठाने के उद्देश्य से बाबूलाल के कायम मुकामान प्रतिवादीगण 2/1 लगायत 2/5 व प्रतिवादी क्रम 3 रामकन्या ग्राम नृसिंहपुरा व उम्मेदगंज की आराजी में अपना हक हिस्सा मांगने की चाराजारी करने लग गये तो वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के मध्य पारिवारिक समझौता हुआ कि उक्त आराजीयात मे प्रतिवादी क्रम 2 के वारिसान उनका हक व हिस्सा नही लेगें तथा एक हक त्याग विलेख मृतक वादी धन्नालाल के पक्ष में तहरीर करवाकर दिनांक 03.07.2000 को तहरीर नोटेरी से अनुप्रमाणित करवाया तथा एक शपथ पत्र भी आशय का उक्त प्रतिवादीगण ने मृतक वादी धन्नालाल के पक्ष में लिखा उक्त दोनों दस्तावेजों की रूह से वादीगण उक्त विवादित आराजी पर खातेदार कृषक हो चुके है तथा बॉय ऑवरेशन ऑफ लॉ अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण बाबूलाल के वारिसान व रामकन्या बाई ने एक इकरार नामा लिखकर अपने खातेदारी हक व अधिकारों का त्याग कर लिया है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में बाबूलाल का व रामकन्या का नाम मौजूद होने का फायदा उठाने के उद्देश्य से

फोती नामान्तकरण खुलवाकर उक्त विवादित आराजी पर लोन वगैरा लेने के लिये आमादा है। जिसका उक्त प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। तथा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के अधिकारी है कि ताफैसला मुकदमा उक्त विवादित आराजी में निहित प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 को कहीं अन्यत्र स्थान पर रहन, बैचान न करें न ही अन्य किसी प्रकार से हस्तानान्तरण व भारयुक्त करें तथा वादीगण को निर्बाध रूप से निरन्तर काश्त करने दे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान कारित न करें। उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का पिछले 40 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त न होने के कारण उनके खातेदारी अधिकारों को अवसायन हो चुका है तथा वादीगण के खातेदारी अधिकार प्रतिभूत हो चुके है तथा वादीगण अपने उक्त अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के हिस्सा 1/2 पर अपना नाम दर्ज करने के वैधानिक अधिकारी है तथा अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ वादीगण का उक्त वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। उक्त वाद पत्र में वादीगण 1 व 2 के अतिरिक्त वादी क्रम 3 ता 6 मीणा जाति से है। तथा मृतक धन्नालाल की पुत्रियां है मीणा जाति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है तथा शादी शुदा लडकियों को पिता की सम्पत्ति में कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही होता है, परन्तु वाद के आवश्यक पक्षकार होने के कारण उनकी सहमति से उनको परफोरमा पक्षकार बनाया गया है। वादीगण उनके पिता के हक में लिखे गये हक त्याग विलेख इकरार नामा दिनांक 03.06.2000 की पालना में विवादित आराजी पर भी अपने खातेदारी हक व अधिकारो की घोषणा करा कर उक्त आराजी अपने खाते मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने के अधिकारी है। उपरोक्त वाद कारण प्रतिवादी क्रम 2/1 लगायत 3 द्वारा उनका नाम राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी मे दर्ज होने के कारण यह धमकी दी गई कि वह उक्त आरजी को के0सी0सी0 का लोन उठाकर रहेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने मनसूबे में कामयाब हो गये तो उनको अपने वैधानिक हक एवं अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमें बाजी में उलझना पडेगा, जिसकी पूर्ति होना असंभव है। उपरोक्त वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा जबरन बेजा मदाखलत एवं विवादित आरजी पर लोन उठाने की धमकी दिये जाने के कारण बमुमाम नृसिंहपुरा तहसील अटरू में दिनांक 12.06.2013 को पैदा हुआ तथा वर्तमान मे भी हो रहा है। प्रतिवादी क्रम 4 लेण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा उसको धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दे दिया गया है जो पत्रावली में संलग्न है। उक्त विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा व उम्मेदगंज पटवार क्षैत्र तहसील अटरू में होने से उक्त वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय

श्रीमान को प्राप्त है। वाद का मुल्यांकन वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणार्थ 400/– रूपया व स्थाई निषेघाज्ञा हेतु 400/– रूपया कुल 800/– रूपया कायम किया जाकर वाद उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त वाद अवधि मध्य प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिग्री सादिर फरमाई जावें।

(1) ग्राम वाके माल नृसिंहपुरा व उम्मेदगंज की विवादित आराजी जिसका विवरण वाद पत्र की मद नं0 1 में दिया गया है उस पर समस्त भाग पर वादीगण क्रम 1 व 1/1 व 1/2 को खातेदार कृषक घोषित करते हुये उसे खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावें तथा खातेदार कृषक के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करें।

(ब) प्रतिवादीगण 1 व प्रतिवादीगण क्रम 2/1 लगायत 2/5 व प्रतिवादी क्रम 3 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वह ग्राम नृसिंहपुरा व उम्मेंदगंज मे स्वयं के नाम दर्ज भूमि 1/2 हिस्से पर वादीगण के कब्जे काश्त में बेजा मदाखलत न करें तथा उक्त भूमि को किसी अन्यत्र स्थान पर भारयुक्त रहन बैचान व अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित न तो स्वयं करें न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करें अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई,

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत PW_1 से PW_4 का शपथ पत्र पेश किया गया तथा PW_1 पर रिकार्ड EXP करवाया गया, प्रकरण एक तरफा होने से जिरह नही हो सकी।

उभय पक्षकार की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया अभिभाषक वादीगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम नृसिंहपुरा की विवादित आराजी ख0नं0 79 रकबा 2.44 है0 ख0नं0 420 रकबा 1.69 है0 कुल किता 2 रकबा 4.13 है0 व ग्राम उम्मेदगंज की ख0नं0 9 रकबा 1.58 है0 ख0नं0 125/668 रकबा 0.04 है0 ख0नं0 138 रकबा 1.66 है0 ख0नं0 152 रकबा 0.63 है0 ख0नं0 160 रकबा 0.58 है0 ख0नं0 171 रकबा 0.35 है0 ख0नं0 176 रकबा 0.25 है0 ख0नं0 153/670 रकबा

0.05 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5.14 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड शामलाती खाते में दर्ज है। जिससे प्रतिवादी क्रम 1 एवं वादीगण का हिस्सा 1/2 व बाबूलाल के वारिसयान का हिस्सा 1/2 दर्ज है। जिसमें से सहखातेदार प्रतिवादी क्रम 1 अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष मे तर्क कर अपने खातेदारी अधिकारों को अवसायन करा चुका है।

मृतक गोप्या उर्फ गोपीलाल बाल्यकाल से ही अपने रिस्तेदार सिरिया के यहां लसाडिया में गोद चला गया है। सिरिया की भूमि गोपीलाल एवं उसके वारिसान रामकन्या वादी क्रम 3 व 2/1, 2/5 काबिज है। जिस कारण उसके सारे अधिकार ग्राम नृसिंहपुरा व उम्मेदगंज से समाप्त हो चुके है। गोप्या उर्फ गोपीलाल के फोत होने के बाद उसके वारिसयान मृतक बाबूलाल के कायम मुकामान प्रतिवादी क्रम 2 ल 2/5 व प्रतिवादी क्रम 3 का नाम दर्ज हो गया मृतक बाबूलाल व रामकन्या का नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर अपना हक हिस्सा मांगने पर पारिवारिक समझोता हुआ इकरार नामा हुआ जिसमें प्रतिवादी क्रम 2 के वारिसयान का हकत्याग वादी धन्नालाल के पक्ष में तहरीर 03.07.2020 से नोटेरी प्रमाणित करवाकर दिया गया जो शा0 पत्रावली है। जिससे उक्त दौनो ग्रामों की भूमि का हकत्याग वादीगण के पक्ष में किया गया।

वादीगण जाति से मीणा है जिन पर हिन्द उत्तराधिकार नियम लागू नही होता है। फिर भी वादीगण क्रम 1/3 से 1/6 द्वारा अपने भाई हंसराज व रामगोप पुत्र धन्नालाल के पक्ष में हकत्याग कर दिया गया।

इस प्रकार समस्त विवादित आराजी ग्राम नृसिंहपुरा सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या 144 किता 2 रकबा 4.13 व ग्राम उम्मेदगंज की खाता संख्या 59 किता 8 रकबा 5.14 है0 पर वादीगण 1/1 व 1/2 को न्यायहित में खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम उम्मेदगंज की खाता संख्या 59 की किता 8 रकबा 5.14 है0 व ग्राम नृसिंहपुरा की किता 2 रकबा 4.13 है0 में वादी क्रम 1/1 हंसराज व वादी क्रम 1/2 रामगोप को हिस्सा 1/2—1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण का 1/1 हंसराज व वादी क्रम 1/2 रामगोप नाम अंकित करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 81/2013

उनवान

1. मृतक धन्नालाल पुत्र श्री जगन्नाथ आयु 70 वर्ष जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू
1/1 हंसराज पुत्र श्री धन्नालाल आयु 50 वर्ष जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू
1/2 रामगोप पुत्र श्री धन्नालाल आयु 35 वर्ष जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू
1/3 सुसर पुत्री धन्नालाल पत्नि श्री रामकुंवार आयु 55 वर्ष जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा तह0 अटरू हाल निवासी झाडवा तह0 मांगरोल
1/4 सुरज्या पुत्री श्री धन्नालाल पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण आयु 45 वर्ष जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा तह0 अटरू हाल निवासी प्रेमपुरा तह0 पीपल्दा
1/5 मनभर पुत्री श्री धन्नालाल पत्नि श्री बाबूलाल आयु 40 वर्ष जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू हाल निवासी सकरावदा तहसील किशनगंज।
1/6 कमला पुत्री श्री धन्नालाल पत्नि श्री सत्यनारायण आयु 38 वर्ष जाति मीणा निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू हाल निवासी सकरावदा तहसील किशनगंज।

वादीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र मथुरालाल आयु 55 वर्ष जाति मीणा निवासी रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
2. मृतक बाबूलाल पुत्र गोप्या उर्फ गोपीलाल जाति मीणा निवासी लिसाड़िया
2/1 ओमप्रकाश आयु 35 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी लिसाडिया
2/2 चन्द्रप्रकाश आयु 33 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी लिसाडिया
2/3 सुरेश आयु 32 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी लिसाडिया
2/4 बद्रीलाल आयु 30 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी लिसाडिया
2/5 भरोसीबाई आयु 57 वर्ष बेवा बाबूलाल जाति मीणा निवासी लिसाडिया
3. रामकन्या आयु 60 वर्ष पुत्री गोप्या उर्फ गोपीलाल जाति मीणा निवासी लिसाडिया
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब महोदय अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए व धारा 12 एवं 188 आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम उम्मेदगंज की खाता संख्या 59 की किता 8 रकबा 5.14 है0 व ग्राम नृसिंहपुरा की किता 2 रकबा 4.13 है0 में वादी क्रम 1/1 हंसराज व वादी क्रम 1/2 रामगोप को हिस्सा 1/2–1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण का 1/1 हंसराज व वादी क्रम 1/2 रामगोप नाम अंकित करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 05.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 10:45:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: